बाल विवाह पर रोक के लिए कन्ट्रोल रूप स्थापित

झुंझुनू, 17 अप्रैल : जिला मजिस्ट्रेट झुंझुंनू ने बताया कि अक्षय तृतीया पर 28 अप्रैल के पूर्व अबूझ सावे पर होने वाले बाल विवाह के आयोजन की प्रभावी रोकथाम के लिए कमरा नंबर 114 में कन्ट्रोल रूप स्थापित किया गया हैं, जिसका टेलिफोन नंबर 01592–232237 हैं जो 24 घण्टे कार्यरत रहेगा। उन्होंने बताया कि नियन्त्रण कक्ष में तीन पारियों में कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। नियन्त्रण कक्ष में नियुक्त कार्मिक बाल विवाह संबंधी प्राप्त शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज कर तत्काल कार्यवाही करेंगे एवं की गई कार्यवाही का विवरण रजिस्टर्ड में अंकित भी करेंगे।

उन्होंने बताया कि नियन्त्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी सीताराम आई.आर.ए. एवं सहायक प्रभारी अधिकारी कार्यालय अधीक्षक कार्यालय हाजा होंगे। प्रभारी अधिकारी अपने स्तर पर साप्ताहिक अवकाश का आदेश जारी करेंगे।

————————